<u>न्यायालय, विषेश न्यायाधीश उत्पाद, बाढ़</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :– 9617/2022</u>

<u>सालिमपुर थाना कांड संख्या :– 215/2022</u>

<u>21.12.2022</u>

आवेदकगण 1. मंटु कुमार, पे0 विनोद कुमार एवं 2. सुरज कुमार, पे0 राजेश यादव की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 02.12.2022 के अंतर्गत धारा 438 द0प्र0स0 के तहत दाखिल किया गया। आवेदकगण सालिमपुर थाना कांड सं0 215/2022 अंतर्गत धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत की याचना करते हैं। आवेदन की प्रति पूर्व से ही विद्वान विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किये है। आवेदकगण के द्वारा कोई भी जमानत आवेदन किसी वरीय न्यायालय या इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। आवेदकगण के पास से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदकगण का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक सं0 01 सुरज कुमार स्नातक का छात्र है। आवेदकगण को ग्रामीण राजनीति के कारण जानबुझकर झुठा केस में फंसाया गया है। आवेदकगण को फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण न्यायालय के द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के लिये तैयार है। ऐसी दशा में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

मामले में अभियोजन कथनाक है कि पुलिस को सूचना मिली ग्राम अलिपुर स्थित फोरलेन से विधिपुर जाने वाली सड़क में अलिपुर मोड़ से 200 मीटर आगे सड़के के किनारे बांसवाड़ी में छुपाकर 6 लोग अंग्रेजी शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची तो पुलिस को देखकर 6 व्यक्ति कार्टुन को छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन घनी आबादी का फायदा उठाकर 6 व्यक्ति भागने में सफल रहे। उक्त बांसवाड़ी के तलाशी के क्रम में ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 04 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन में 48 बोतल तथा ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 01 लूज कार्टुन में 41 बोतल अंग्रेजी शराब, कुल बोतल 233 जिसका कुल मात्रा 41.940 लीटर अंग्रजी शराब बरामद किया गया। भागे हुए 6 व्यक्ति के बारे में ग्रामीणों से पूछने पर भागे शराब कारोबारी का नाम का नाम क्रमशः 1. मन्टु कुमार, 2. सुरज कुमार एवं 3. सन्तन कुमार बताया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक कथन करते है कि आवेदक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है। मौके पर से भागे आवेदकगण एवं प्राथमिकी में नामित सह अभियुक्त पर धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के तहत बांसवाड़ी में से ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 04 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन में 48 बोतल तथा ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 01 लूज कार्टुन में 41 बोतल अंग्रेजी शराब, कुल बोतल 233 जिसका कुल मात्रा 41.940 लीटर अंग्रजी शराब की बरामदगी का आरोप है। आवेदक बिहार में बने शराब बंदी कानून का पालन नहीं कर रहे है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण 1. मंटु कुमार एवं 2. सुरज कुमार औपचारिकी प्राथमिकी के नामित है। मौके पर से भागे आवेदकगण एवं प्राथमिकी में नामित सह अभियुक्त पर बांसवाड़ी में से ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 04 कार्टुन में प्रत्येक कार्टुन में 48 बोतल तथा ROYAL PLAYER 180 एम.एल. का 01 लूज कार्टुन में 41 बोतल अंग्रेजी शराब, कुल बोतल 233 जिसका कुल मात्रा 41.940 लीटर अंग्रजी शराब की बरामदगी का आरोप है। कांड दैनिकी अप्राप्त है। उपरोक्त प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि ग्रामिणों ने घटनास्थल से भागने वाले व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर उसका नाम आवेदकगण एवं प्राथमिकी में नामित सह अभियुक्त के रूप में बताया। अभियोजन के अनुसार प्राथमिकी से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदकगण एवं प्राथमिकी में नामित सह अभियुक्त द्वारा अवैध शराब रखने एवं बेचने का कारोबार करने का

<u>लगातार</u>
<u>21.12.2022</u>

आरोप है, जो बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 का उल्लंघन प्रतीत होता है और आवेदकगण की संलिप्तता प्रथमदृष्टया पता चलता है। आवेदकगण के विरूद्ध कांड का अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार के पश्चात आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित नहीं समझता हूं। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा **76(2)** के तहत पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः आवेदकगण <u>1. मंटु कुमार एवं 2. सुरज कुमार</u> का अग्रिम जमानत आवेदन <u>खारिज</u> किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)
Sd/-
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, बाढ़